File Copy

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मंगलाना

परबतसर,रोड मंगलाना (नागौर)

ईमेल:gcmanglana@gmail.com

फोन.: 01588–285035

क्रमांक:राममं / छात्रसंघ चुनाव / 2022 /

दिनांक:–13.08.2022

छात्रसंघ चुनाव सत्र 2022–23
धारा–24
आदर्श आचार संहिता

1. कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी प्रक्रिया / गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ना ही वह किसी क्रिया / गतिविधि को उत्प्रेरित करेगा जो किस आपसी मतभेदों को बढ़ावा दें या आपसी वैमनस्य या विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करें।

2. दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, उनके पूर्व रिकॉर्ड व कार्यो तक सीमित होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के उन सभी पक्षों की आलोचना से बचेंगे जो अन्य उम्मीदवारों की समाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से संबंधित हों। असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा।

3. मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी। पूजास्थल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हो, चुनाव प्रचार हेतु प्रयोग में नहीं लाये जायेंगें।

4. सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों / कार्यो में लिप्त होने या उनके उत्पीड़न करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते है जैसे कि– मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना–धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, महाविद्यालय परिसर के बाहर प्रचार या चुनाव के आखिरी घंटे से 24 घंटे पूर्व सभा आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाना और वापिस छोड़ना इत्यादि।

5. किसी भी उम्मीदवार को छपे हुए पोस्टर्स या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार प्रचार के लिये केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग कर सकेंगे जबकि एसे हस्तानिर्मित पोस्टर्स निर्धारित व्यय सीमा के अंतर्गत बनाये गये हों।

6. उम्मीदवार केवल हस्तानिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थानों पर ही कर सकेंगे।

7. किसी भी उम्मीदवार को महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियॉ, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।

Scanned by Scanner Go

8. कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पति को खण्डित अथवा नष्ट नहीं करेंगे। महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पति के खण्डित अथवा नष्ट होने/करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से दोषी माने जायेंगे तथा इनके विरूद्ध नियमानुसार पुलिस कार्यवाही की जायेगी एवं अर्थदंड वसूला जायेगा।

9. प्रचार हेतु लाउडस्पीकर वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।

10. मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवारः–

(अ) चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित अफसरों से सहयोग करेंगे ताकि मतदान शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित हो सके और मतदाता बिना किसी नाराजगी, व्यवधान एवं निष्पक्षता से अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।
(ब) छात्रसंघ चुनावों के दौरान पानी को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री (ठोस अथवा तरल वितरित नहीं करेंगे।)
(स) मतदान दिवस को किसी भी प्रकार की प्रचार/प्रसार सामग्री नहीं बाटेंगे।

11. मतदाताओं के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति/विद्यार्थी बिना किसी वैद्य पास या मुख्य चुनाव अधिकारी के अधिकार पत्र या प्राचार्य द्वारा जारी अधिकार पत्र के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

12. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेंगे। यदि उम्मीदवारों को चुनावों के संचालन से संबंधित कोई विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो वे उस समस्या को पर्यवेक्षक के संज्ञान में लिखित में लायेंगे।

13. मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।

14. सभी उम्मीदवार छात्रसंघ संविधान की धारा 10 की बिन्दु संख्या (ii) की अनुपालना में चुनाव परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह के अंदर महाविद्यालय प्रशासन को पूर्ण एवं अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत करेंगे। ज्ञात रहे कि प्रति उम्मीदवार व्यय की अधिकतम सीमा रूपये 5000/–है।

15. उपर्युक्त सिफारिशों में से किसी का भी उल्लघंन करने पर उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी खो देंगे या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा, जैसा भी प्रसगवंश होगा। ऐसे उल्लघंनकर्त्ता के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही महाविद्यालय द्वारा भी की जा सकेगी।

16. उपर्युक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (Sec 153 A and chapter IX A – चुनावों से संबंधित अपराध) भी छात्र संघ चुनावों पर लागू किये जा सकेगें।

मुख्य चुनाव अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय
मंगलाना (नागौर)

Scanned by Scanner Go